

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 20 / 11 / 2017

संख्या-2/टी०-19/17- 1508(2)/स्वा०, डा० अरविन्द कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शिवहर को कार्यहित में अगले आदेश तक के लिए नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. सिविल सर्जन, शिवहर को निदेश दिया जाता है कि डा० कुमार को प्रतिनियुक्त स्थान पर योगदान करने हेतु अविलम्ब विरमित करें।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-2/टी०-19/17- 1508(2) पटना, दिनांक 20 / 11 / 2017
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, गजट कोषांग वित्त विभाग बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, जिला पदाधिकारी, शिवहर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, शिवहर/सिविल सर्जन, शिवहर/ प्राचार्य/अधीक्षक नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं शिवहर/ डा० अरविन्द कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ /विशेष सचिव के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9 एवं 17/आई०टी०, मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।